

अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री
अग्रवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

19-12-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नहीं हैं।
अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनाएं चाही गयी थी उस
प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना
अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक
कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने
अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2015 के द्वारा निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक प्रार्थी को प्रेषित 25456-457
दिनांक 20.10.2015 आपको सम्बोधित, आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व व
आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पहुंचने से सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र का जबाब देने तक जो जो
कार्यवाही आपके द्वारा जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई है उसकी
सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार द्वारा श्री सुभाषचन्द गोयल के विरुद्ध दायर
इस्तगासा दोषपूर्ण एवं तथ्यात्मक रूप से कमजोर इस्तगासा प्रस्तुत करने पर आप
द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. आपके आदेश की पालना में श्री सांवरमल रेगर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये
गये इस्तगासा के पश्चात जिन जिन तारीखों पर ब्यान दर्ज करवाने माननीय
अदालत के समक्ष उपस्थित हुए उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. आपके आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरुद्ध की गयी कार्यवाही की
सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. इस्तगासा दायर करने के उपरान्त जिन जिन पेशियों पर साक्ष्य देने हेतु श्री
सांवरमल रेगर द्वारा ब्यान प्रकरण में दर्ज नहीं करवाने, उसकी नियम की सूचना व
नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम)
श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 240 दि0 15.03.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि
अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1989 दिनांक
21.12.2015 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1989
दि0 21.12.2015 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:-

श्रीगंगानगर
जिला कलेक्टर

A3
/2

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:-

1. बिन्दु सं0 1 में वर्णित पत्र के इस कार्यालय में पहुंचने की तिथि व आर/आर नम्बर की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावें ताकि सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवाई जा सके।
2. शेष बिन्दु सं0 2 से 7 के तहत चाही सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेषण कर, ढूँढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञापित, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 की एक पृष्ठ की सूचना के लिए दो रुपये राशि जमा करवाकर प्राप्त करने के लिए उक्तानुसार लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह उक्तानुसार राशि जमा करवा कर बिन्दु सं0 1 की सूचना प्राप्त करे। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष बिन्दु सं0 2 से 7 की सूचनाएं कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नहीं है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 21.12.2015 सही है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथि नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तत्काल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्ञान राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर